भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1506
जिसका उत्तर शुक्रवार 29 जुलाई, 2022 को दिया जाएगा

उपभोक्ता न्यायालयों द्वारा मामलों का निपटान किया जाना

1506. श्री नीरज डांगी:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में उपभोक्ता के हितों का उल्लंघन करने से संबंधित कितने मामले दर्ज किए गए हैं;
(ख) उक्त अवधि के अंतर्गत उपभोक्ता हितों का उल्लंघन करने वाले कितने व्यक्तियों को वर्ष-वार दंडित किया गया है; और
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान उपभोक्ता न्यायालयों द्वारा निपटाये गये मामलों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ग): पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में उपभोक्ता के हितों के उल्लंघन के लिए उपभोक्ता आयोगों में दायर किए गए और उपभोक्ता आयोगों द्वारा निपटाये गये मामलों का ब्यौरा (वर्ष-वार) निम्नानुसार है:

वर्ष	**दायर किये गये मामले**	**निपटाये गये मामले**
2019-20	1,73,223	1,29,015
2020-21	1,26,330	57,698
2021-22	1,46,042	1,00,044

******